न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
14 / 2020	10 / 07 / 2020	10 / 10 / 2025

रामचरण पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी गढेपान तहसील दीगोद जिला कोटा राज

प्रार्थी

बनाम

1. कस्तुरीबाई पत्नी स्व. रामकरण जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. गुलाब पुत्री मूलचंद जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. चन्द्रप्रकाश पुत्र किशनचन्द्र जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तहसील पीपल्दा जिला कोटा
4. चौथमल पुत्र भँवरलाल जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. जगदीश पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तहसील पीपल्दा जिला कोटा
6. जगदीश दत्तक पुत्र देवीलाल जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तहसील पीपल्दा जिला कोटा
7. जयकिशन पुत्र भँवरलाल जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तहसील पीपल्दा जिला कोटा
8. देवीलाल पुत्र भैरूलाल निवासी गढेपान तहसील दीगोद जिला कोटा
9. दोलतराम पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
10. नुरका पुत्री मूलचंद जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
11. प्रदीप पुत्र रामेश्वर जाति मीणा निवासी गढेपान तहसील दीगोद–कोटा
12. बजरंगलाल पुत्र श्रीलाल जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
13. मांगीबाई पुत्री रामकरण जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
14. राजकुमार पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
15. रामचन्द्री पत्नी भँवरलाल जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
16. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
17. शम्भूदयाल पुत्र भँवरलाल जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
18. श्यामसुन्दर पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
19. सुमित्रा पुत्री भंवरलाल जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
20. हंसराज पुत्र श्रीलाल जाति मीणा निवासी श्रीपुरा पंचायत अयानी तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के कब्जे एवं स्वामित्व की एवं खातेदारी की कृषि आराजी वाके माल श्रीपुरा पटवार मंडल प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. में जमाबंदी सम्वत 2075 –78 की खाता नम्बर 17 खसरा नम्बर 39 रकबा 3.11 है. नहरी द्वितीय खसरा नम्बर 6 रकबा 2.38 है. नहरी द्वितीयकुल किता 2 रकबा 5.49 है. भूमि मे प्रार्थी का 1/24 हिस्सा है जो 0.228 हैवटर बनता है और अन्य अप्रार्थीयो का जमाबंदी के अनुसार हिस्सा है। जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 खाता नम्बर 18 खसरा नम्बर 47 रकबा 4.00 है. नहरी द्वितीय खसरा नम्बर 48 रकबा 3.10 है. नहरी द्वितीय कुल किता 2 रकबा 7. 10 है. भूमि मे प्रार्थी का 1/6 हिस्सा निहित है जो 1.183 हैक्टर बनता है अप्रार्थीगण 3,11,12,14 का उपरोक्त आराजी मे कोई हिस्सा नहीं है अन्य अप्रार्थीयो का जमाबंदी के अनुसार हिस्सा दर्ज है दोनो जमाबंदीयो में प्रार्थी का 1.41 हैक्टर हिस्सा है दोनो जमाबंदीया प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपसी समझायश से काफी वर्षो पूर्व विवादग्रस्त आराजी का बंटवारा हो रहा है प्रार्थी विवादग्रस्त आराजियात प्रार्थना पत्र में वर्णित ख.न. 39 की 311 है. भूमि मे से 1.41 हैक्टर उत्तरी दिशा की भूमि पर तथा प्रार्थी के लगवा दक्षिण दिशा मे अप्रार्थी कम नम्बर 8 काबिज होकर काश्त कर रहे है। यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी पर आपसी बंटवारे के तहत प्राप्त अपने–अपने हिस्से की भूमि काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा अपने–अपने हिस्से की भूमि पर मेढबन्धी भी हो रही है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से दिनांक 20.6.2020 को विवादग्रस्त आराजी का कब्जा अनुसार बंटवारा करवाने तथा पृथक पृथक खाता करवाने के लिए कहा तों अप्रार्थीगण में बंटवारा करवाने से मना कर दिया तथा अप्रार्थीगण नें प्रार्थी को धमकी दी कि प्रार्थी को उसके कब्ज काश्त की विवादग्रस्त आराजी ख.न. 39 की उत्तरी दिशा की 1.41 हैक्टर पर काश्त नहीं करने देगे, मेढ को तोडकर नष्ट करेगे, प्रार्थी ने काशत की तो फसल को भी नष्ट करेगे प्रार्थी खेत पर आया तो जान से मार देगे विवादग्रस्त आराजी को दिगर व्यक्तियो को रहन, बैचान, करेगे इस कारण प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह विवादग्रस्त आराजी का बंटवारा करवावें तथा उसके हिस्से व कब्जे काशत की आराजी को पृथक से अपने खाते मे दर्ज करवावें। अप्रार्थीगण कों प्रार्थी के हिस्से व कब्जे काश्त की विवादग्रस्त आराजी ग्राम श्रीपुरा की ख.न. 39 की 1.41 हैक्टर उत्तरी दिशा पर मदाखलत व मजहामत करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि प्रार्थी को यह कानूनी अधिकार हासिल है कि प्रार्थीगण को प्रार्थी के कब्जे काश्त की विवादग्रस्त आराजी ख.न. 39 की 1.41 है. उतरी दिशा की भूमि में बाधा उत्पन्न करने से रोके और न्यायालय श्रीमान में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी प्राप्त करे इस कारण प्रार्थी माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रहा है। यह कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया केस पूर्ण रूप से साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष में है और अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होनी है क्योकि विवादित आराजी ख.न. 39 की 1.41 है. उतरी दिशा की प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की है जिस पर प्रार्थी बहैसियत मालिक व खातेदार के रूप में काबिज है। और काश्त करता चला आ रहा है यदि अप्रार्थीगण नें प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपने अधिकारो से वंचित होना पडेगा और उसे अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मूल्याकन किया जाना सम्भव नही होगा। और प्रार्थी को कई वाद विवाद में उलझना पडेगा तथा प्रार्थी के परिवार की भूखे मरने की नोबत आ जायेगी। क्योकि अप्रार्थीगण लगातार विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर अमादा है तथा प्रार्थी को बेदखल करने पर अमादा है यदि इन्है अस्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित नही किया गया तों प्रार्थी के समक्ष गम्भीर आर्थिक संकट खडा हो जायेगा अप्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी को दिगर व्यक्तियो को रहन, बैचान, करने पर भी अमादा हो रहे है जिन्हे बिना बंटवारा करवाये विवादग्रस्त आराजी को विकय करने का कोई अधिकार प्राप्त नही

है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम श्रीपुरा पटवार मण्डल प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 39 की 3.11 हैक्टर मे से उत्तरी दिशा की 1.41 हैक्टर कृषि भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त मे एवं उसके उपभोग एवं उपयोग में अर्थीगण किसी प्रकार मदाखलत व मजमहामत नही करे, ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे न ही अप्रार्थीगण अपने किसी प्रतिनिधियो से करावे विवादग्रस्त आराजी का जब तक बंटवारा नही हो जावे जब तक अप्रार्थीगण दिगर व्यक्तियो को विवादग्रस्त आराजी रहन, बैचान, दान, आदि अप्रार्थीगण नही करे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीकम 1 ता 7, 9, 10, 13 ता 19 व 21 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीकम 11, 12, 20 को जवाब में काफी अवसर देने के बावजूद जवाब बंद किया जाकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस हेतु नियम की गई।

बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला विवादित आराजी में अभिलिम्बित खातेदार दर्ज होने के कारण प्रार्थी के पक्ष में है। ख0नं0 39 तथा 6 रकबा 3.11 तथा 2.38 में मुताबिख राजस्व अभिलेख 1/24 हिस्सा तथा ख0नं0 47 रकबा 4.00है0, ख0नं0 48 रकबा 3.10है0, में 1/6 हिस्सा दर्ज है। मूलवाद में वादी स्वयं के हिस्से का विभाजन कराने का अनुतोष मांगा है जो विचारण का विषय है। वाद के विचारण के दौरान अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के रहन, बैचान, दान से इसके खुर्द–बुर्द होने की संभावना है जिससे प्रार्थी को अपरिक्षित हानि कारित होगा तथा जिसकी पूर्ति मुद्रा से संभव नहीं होगा। दौराने वाद विवादित सम्पत्ति के टाईटल मे परिवर्तन से वाद की जटिलता में भी वृद्धि संभव है तथा नये पक्षकारों द्वारा पश्चातवर्ती दावों की संख्या से प्रार्थी को न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होगी। अतः न्यायालय का हस्तक्षेप वाद के अन्तिम निर्णय तक आवश्यक है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से प्रार्थी को असुविधा अधिक होगी क्योंकि उसे मामलों की संख्या व जटिलता का शिकार होना पड सकता है जबकि अप्रार्थी को ऐसी क्षति होना। असुविधा होने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। यदि मामले में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जाती है तो अप्रार्थी को उतनी असुविधा होना प्रतीत नहीं होता है जितनी अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं करने से प्रार्थी को होगी। अतः सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः ग्राम श्रीपुरा पटवार मंडल प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित ख0नं0 39 रकबा 3.11है, ख0नं0 6 रकबा 2.38हे0, ख0नं0 47 रकबा 4.00है0, ख0नं0 48 रकबा 3.10है0, हेतु अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मूलवाद के अन्तिम निर्णय तक प्रार्थी के हिस्से तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा विवादित आराजी का रहन, बेचान, दान नहीं करे तथा शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नहीं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि से कराये। मामल सरे इजलास में सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व मूल नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा